रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1075] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2004/अग्रहायण 24, 1926

No. 1075] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2004/AGRAHAYANA 24, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(फंड बैंक प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1375(अ).—राष्ट्रपति जी, निवेश आयोग में निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

1. श्री रत्न टाटा — अध्यक्ष
2. डा० अशोक गांगुली — सदस्य
3. श्री दीपक पारेख — सदस्य

2. नियुक्ति की विस्तृत शर्तें तथा निबंधन यथेष्ट समय में जारी की जाएंगी।

3. निवेश आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्न शामिल होंगे :

(क) निवेश आयोग का गठन आरम्भ में 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा;

(ख) निवेश आयोग सरकार (वित्त मंत्रालय में) के अंतर्गत स्थित होगा और इसे कार्य प्रचालन स्वायत्तता व सरकारी सहायता प्राप्त होगी;

(ग) निवेश आयोग भारत में औद्योगिक समूहों/घरानों तथा विदेशो में बड़ी कंपनियों के साथ बैठकें व दौरे करेगा, विशेषतया उन क्षेत्रकों में जहां निवेश की अत्यंत आवश्यकता है परन्तु अभी समुचित निवेश का प्रवाह नहीं हुआ है। आयोग संभाव्य निवेशकर्ता कंपनियों के निदेशक बोर्ड के साथ गहन अंत: क्रिया करेगा;

(घ) भारतीय निवेशकों के संबंध में आयोग ''घोषणाओं'' और ''प्रस्तावों'' के बीच के अंतराल को तथा ''प्रस्तावों'' और ''परियोजना क्रियान्वयन'' के बीच के अंतर को दूर करने के मुद्दे का भी समाधान करेगा;

(ङ) आयोग प्रत्येक वर्ष निवेश के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी;

(च) आयोग भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के और अधिक प्रवाह को सुकर बनाने हेतु नीति एवं क्रियाविधियों दोनों के संबंध में सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा।

4. निवेश आयोग की सिफारिशों का प्रक्रियान्वयन वित्त मंत्रालय में किया जाएगा तथा इन्हें अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया

जएगा। निवेश आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले सभी नीतिगत निर्णयों को अनुमोदन हेतु आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय टिप्पणी (सीसीईए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

[फा. सं. 1/7/2004-एफ०आई०यू०]

एम० एस० विर्दी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FUND BANK DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 13th December, 2004

S.O. 1375(E).— The President is pleased to appoint the following to the Investment Commission.—

1.	Shri Ratan Tata	Chairman
2.	Dr. Ashok Ganguly	Member
3.	Shri Deepak Parekh	Member

2. Detailed terms and conditions of appointments will be issued in due course.

3. The terms of reference of the Investment Commission will include.—

(a) The Investment Commission is constitued initially for a period of 3 years;

(b) The Investment Commission will be located within the Government (in the Ministry of Finance) and will enjoy operational autonomy and Government support:

(c) The Investment Commission will seek meetings and visit with industrial groups/houses in India and with large companies abroad, particularly in sectors where there is a dire need for investment but adequate investment has not flowed so far. The Commission will interact closely with the Boards of Directors of potential investing companies.

(d) In respect of Indian investors, the Commission would also address the issue of bridging the gap between ''announcements'' and ''proposals'' and also the gap between ''proposals'' and ''project implementation''.

(e) The Commission would endeavour to secure a certain level of investment every year and its progress will be reviewed at the end of every quarter.

(f) The Commission will make recommendations to Government both on policies and procedures to facilitate grater FDI flows into India.

4. The recommendations of the Investment Commission will be processed in the Ministry of Finance and will be put up to the competent authority for approval. All policy decisions emerging from the recommendations of the Investment Commission would be put up to the Cabinet Committee on Economic Affaris (CCEA) for approval.

[F. No. 1/7/2004-FIU]

M.S. VIRDI, Director.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.